(c) by when the matter is likely to be finalised; and

(d) the number of proposals received from Gujarat State for establishment of new sugar factories and by when the proposals are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) As on 30-9-91, Ministry of Food have received 5 proposals for change of location in the State of Gujarat, out of which 4 have been recommended by the Government of Gujarat. The details of the proposals are given in the statement attached. (*See* below)

(c) Licensing Policy gidelines for Sugar Industry have been revised recently. The above proposals would now be considered as per the aforesaid revised policy.

(d) As on 30-9-91, 10 proposals for grant of Letters of Intent|Industrial Licences for establishment of new sugar factories in the State of Gujarat have been received and are pending consideration of the Government. These proposals would now examined in the light of the revised policy guidelines.

Statement

Details of the proposals received for change of location in the state of Gujarat

S. No.	Name of the factory	From	To
1.	M/s. Shree Khedut Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd.	Rohid, Tal.—Hansot Distt.—Bharuch	Kosamba, Tal.—Mangrol, Distt.—Bharuch.
2.	Shri Ukai Vibhag Asarghast Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd.	Serula, Tehsil—Songadh Distt.—Surat	Gunsada, Taluk—Songath, Distt.—Surat.
3.	M/s. Shri Narmada Khand Udyog Sahakari, Mandli Ltd.	Taropa, Taluk—Nanded Distt.—Bharuch	Dharikheda, Teshsil—Nanded Distt.—Bharuch.
4.	M/s. Vadodara District Coop. Sugarcane Growers' Union Ltd.,	Mandala, Taluk—Dabhoi, Distt.—Vadodara	Gandhara, Tal.—Kargan Distt.— Vadodara.
5.	M/s. Kaveri Vibhag Sahakari Khand Udyog Mandli Ltd.	Khata Amba Tal.—Chikli Distt.—Valsad	Sadadvel, Distt.—Surat

NOTE : The proposal of M/s. Vadodara District Coop. Sugarcane Growers' Union Ltd has not yet been recommended by the Goverhment of Gujrara.

ताजमहल पर प्रदूषण का असर

@1532. **श्री प्रलोद महाजन :**
चौधरी हरि सिंह :
श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल :
श्री गुफरान आजम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1991 के "द टाइम्स आफ इन्डिया" में पोल्यूशन हार्मिंग ताज, सेज स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह समाचार "बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान, संस्थान हैदराबाद" के अध्ययन से संबंधित है, जिसके अनुसार ताजमहल आगरा में संगमरमर के कुछ पत्थरों पर विकार देखा गया है, जिसका

@पूर्वगत: आतारांकित प्रश्न संख्या 515, 27 नवम्बर, 1991 से स्थानांतरित

कारण नाइट्रोजन और सल्फर की आक्साइडें हैं ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई जांच के अनुसार, सल्फर और नाइट्रोजन की आक्साइड के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है हालांकि केवल शीतऋतु में इसके जमाव में सामान्य वृद्धि होती है किन्तु इस सीमा तक नहीं कि संगमरमर और पलस्तर को हानि पहुंचे ।

ताजमहल को प्रदूषकों से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) 1981 में दो धर्मल पावर संयंत्रों को बन्द कर दिया गया है ।

(ii) आगरा के रेलवे स्टेशन यार्ड में डीजल का प्रयोग आरम्भ कर दिया गया है ।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग ने वृक्षारोपण द्वारा ताजमहल के आसपास हरी पट्टी बिछा दी है ।

(iv) राज्य सरकार आगरा में प्रदूषहण स्तर पर निगरानी रख हुए है ।

(v) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लगातार ताजमहल के पास पास के वायुमंडल पर निगरानी रखे हुए हैं ताकि सल्फर डाई आक्साइड छितरे हुए कण पदार्थों तथा अन्य प्रदूषकों के साथ-साथ मौसम संबंधी आंकड़ों के स्तरों का मूल्यांकन किया जा सके, जिससे आवश्यकतानुसार इस प्रकार के उपचारी उपाय किए जा सकें ।

Report of Haksar Committee on National Academies

1533. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Haksar Committee on National Academies has submitted its report;

(d) by when the accepted recommmendations of the Report;

(c) the details of recommendations Government have accepted; and

(d) by when the accepted reocmmendations are likely to be implemented?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details of main recommendations of the Haksar Committee, specifying those which have been accepted, is given in the Annexure. [*See* Appendix CLXI, Annexure No. 45]

(d) Once Government have completed the examination of all the recommendations, a comprehensive statement on the Government's decisions will be placed before the Parliament. Thereafter the process of implementation of accepted reommendations will begin.

गांवों में स्टेडियम और खेल के मैदानों का निर्माण

1534. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खेल विकास योजना के अंतर्गत भारत के किन-किन गांवों में खेलकूद के साधन दिए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार गांवों में क्रीड़ांगनों और खेल के मैदानों के निर्माण हेतु कोई अनुदान देने का विचार रखती है ; और

(ग) गावों में क्रीड़ांगनों और खेल के मैदानों के निर्माण के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) ग्रामीण विद्यालय और गांवों के नाम संलग्न अनुपत्र में दिए गये हैं । [**देखिए** परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 46]

(ख) जी, हां ।

(ग) विभाग की "राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" की योजना के अन्तर्गत स्टेडियमों के निर्माण तथा खेल-मैदानों के विकास के लागत की 50% तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है जो अधिकतम क्रमश: 5.00 लाख (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 12.50 लाख) तथा 50,000/- (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 75,000/-) रुपये हो सकती